11.09 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. SPEAKER: Matters under Rule 377 may be treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to put a check on sale of adulterated ghee in Delhi and other parts of the country. - Laid.

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हाल में डेयरी उत्पाद विक्रेताओं की कुछ संस्थाओं ने नयी दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि देश के कई उत्तरी राज्यों, खासकर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में डिब्बों और पालीपैक्स पर एगमार्क का चिन्ह छाप कर करीब 110 नकली ब्रांड नामों से रोजाना करीब 400 टन सिंथेटिक घी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। दिल्ली और इससे लगे राज्यों की पुनर्वास बस्तियों, यमुनापार की कालोनियों और झुग्गी झोपड़पट्टियों में सिंथेटिक घी की खूब बिक्री हो रही है।

दूध माफिया को सिथेटिक घी की कीमत महज 30 रूपये प्रति किलो पड़ती है जबकि फुटकर बाजार में इसे 80 से 130 रूपये किलो बेचा जाता है। इससे एक ओर जहां असली घी बेचने वालों के कारोबार पर असर पड़ रहा है, वहीं आम जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। डेयरी उत्पाद एसोसिएशनों ने इस बारे में महामहिम राट्रपति जी को एक पत्र भी भेजा है।

इन सब तथ्यों को मद्देनजर मेरा उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस मामले की पूरी तहकीकात करायें और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे दूध माफिया को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई करें।

*Treated as laid on the Table.